"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 689] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2025 — भाद्र 7, शक 1947

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/5004/2025/55–1.— औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) की धारा 33–छ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 21–06/2007/55–1, दिनांक 26 मार्च, 2025 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिले में कार्यरत जिला आयुष अधिकारियों (आयुर्वेद/यूनानी उपाधिधारी)/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी (नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) को उनकी संबंधित अधिकारिता में तथा संचालनालय में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/यूनानी चिकित्सा अधिकारी (नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) को उक्त अधिनियम के अध्याय चार–अ के प्रयोजनार्थ, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी औषधि के संबंध में विनियामक का निष्पादन करने/प्रवर्तन कार्रवाई के लिए अनुमोदन/निर्देशन/अनुमति लेने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक, नियंत्रक प्राधिकारी (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) के अधीनस्थ होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th August 2025

NOTIFICATION

No. GENCOR/5004/2025/55–1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33-G of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in supersession of previous notification No. F 21-06/2007/55-1, dated 26th March, 2025, the State Government hereby, appoints District AYUSH Officer (Holding Ayurved/Unani degree)/ Senior Ayurved Medical Officer/ Unani Medical Officer (authorized by Controlling Authority) working in district for their respective jurisdiction and Ayurved Medical Officer/Unani Medical Officer (authorized by Controlling Authority) working in the Directorate as Inspector for the whole State of Chhattisgarh for the purpose of Chapter IV-A of the said Act.

The Inspector shall be sub-ordinate to Controlling Authority (Ayurved Siddha Unani) for the purpose of taking approval/direction/permission to execute regulatory/enforcement action in respect of Ayurveda/siddha/Unani drugs.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.